कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(प्लॉट नं. 35–ए, पंजीयन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011)

क्रमांक 3539/तकनीकी/2016 भोपाल, दिनांक 29/7/16

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक,
समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषय– मुद्रांक अनुसूची 1–क में संशोधन बाबत ।

उपरोक्त विषयक विधि विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 149–5–21–अ(प्र)अधि. दिनांक 07.01.2015 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क में संशोधन कर विभिन्न दस्तावेजों में स्टाम्प ड्यूटी की दरों में संशोधन किया गया, जिनमें प्रमुख निम्नानुसार हैः–

1– अनुच्छेद–4 में संशोधन कर दत्तक ग्रहण के अभिलेख में 500 रूपये के स्थान पर 2000 रूपये ।

2– अनुच्छेद–5 में संशोधन कर शपथ–पत्र में 10 रूपये के स्थान पर 50 रूपये ।

3– अनुच्छेद–6 में संशोधन कर अचल सम्पत्ति के कब्जा रहित अनुबंध–पत्र में 1000 रूपये तथा अन्य में 500 रूपये ।

4– अनुच्छेद–24 में बिना प्रतिफल के सहमति विलेख 1000 रूपये ।

5– अनुच्छेद–38 में पट्टे/किरायेनामे पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया है ।

6– अनुच्छेद–45 में नोटरी संबंधी कार्य में 10 रूपये के स्थान पर 50 रूपये।

इसी प्रकार अन्य अनुच्छेदों में भी संशोधन कर स्टाम्प ड्यूटी में कमी/वृद्धि की गई है ।

उक्त संशोधनों की आमजन को जानकारी न होने के कारण वर्तमान में शपथ–पत्र में 10 रूपये, अनुबंध पत्र में 100, किरायेनामें पर 100 अथवा 1000 रूपये का स्टाम्प शुल्क चुकाया जा रहा है, जिससे शासन को नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी से वंचित होना पड़ रहा है ।